बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :– भारत सरकार के निदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नकद लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) योजना पायलट बेसिस पर पूर्णियाँ जिले के कस्बा प्रखंड में लागू करने के संबंध में ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत भारत सरकार के निदेशानुसार लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नकद लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) योजना पायलट बेसिस पर पूर्णियाँ जिले के कस्बा प्रखंड में लागू किया जाना है।

2. राज्य में 01 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 लागू है। इसके अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के कुल 8.62 करोड़ लाभुकों का चयन किया गया है, जिसके विरूद्व भारत सरकार द्वारा 8.57 करोड़ पात्र लाभुकों हेतु 4.57 लाख मे0टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

3. राज्य में वर्तमान में पात्र लाभुकों को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति राशन एवं किरासन कूपन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये कूपनों के आधार पर की जा रही है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा–निदेश के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत नकद लाभ हस्तांतरण की योजना है जिसके तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के हकदार गृहस्थियों को खाद्यान्न के बदले नकद राशि लाभुकों के बैंक खाता में दिये जाने की योजना है । इस योजना का उद्देश्य सीधे हकदार गृहस्थियों के बैंक खातों में खुले बाजार से खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा का क्रय करने हेतु समर्थ बनाने के लिए, खाद्य सहायिकी नकद में प्रदान करना है ।

4. इस योजना के पायलट बेसिस पर क्रियान्वयन हेतु पूर्णियाँ जिले के कस्बा प्रखंड का चयन किया गया है । प्रखंड में लगभग 31221 पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियॉ तथा 3973 अन्त्योदय परिवार है तथा कस्बा प्रखंड में अनुमान्यता के अनुसार वर्तमान में 71 जन वितरण प्रणाली दुकान कार्यरत हैं ।

5. भारत सरकार के जी0एस0आर0 649 (अ) दिनांक 21.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 (2013 का 20)की धारा–12 की उप–धारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित धारा– 39 की उप–धारा (2) के खंड (घ) के आलोक में खाद्य सहायिकी का नगद अंतरण नियम, 2015 (Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015) बनाया गया है, जिसके तहत उक्त योजना को कार्यान्वित करने हेतु निम्नांकित शर्तें रखी गयी है:–

(क) हितकारी डाटाबेस का पूर्ण डिजिटलीकरण और डी–डुप्लीकेशन करना।

(ख) डिजिटल हितकारी डाटाबेस में बैंक खाता व्यौरे और आधार संख्या यदि उपलब्ध हो, की सीडिंग करना ।

(ग) खुले बाजार में खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(घ) हकदार गृहस्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार से नगद सहायिकी प्राप्त करने हेतु और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से हकदार गृहस्थियों को बैंक खातों में सहायिकी की देय राशि का अंतरण करने के लिए पृथक बैंक खाते वाले किसी राज्य अभिकरण की पहचान करना ।

13/2016

उल्लेखनीय है कि पूर्णियाँ जिले के कस्बा प्रखंड के आच्छादित लाभुकों का डिजिटल डाटाबेस, आधार संख्या तथा बैंक खाता संख्या का संग्रहण तथा आधार सीडिंग की कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली(PFMS-Public Financial Management system) के माध्यम से हकदार गृहस्थियों के बैंक खातों में सहायिकी की देय राशि का अंतरण करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राज्य अभिकरण के रूप में नामित किया गया है ।

6. हकदार गृहस्थी को संदेय खाद्य सहायिकी की राशि की संगणना खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा को लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (चावल की दशा में भी व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन मूल्य) के 1.25 गुणा और केंद्रीय निर्गम मूल्य के अंतर के साथ गुणा करके की जाएगी या जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जाय ।

उपर्युक्त वर्णित राशि का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा ।

7. भारत सरकार के द्वारा खाद्य सहायिकी के नगद अंतरण हेतु निर्धारित रूपात्मकताएँ के अनुसार राज्य सरकार द्वारा परिलक्षित क्षेत्र हेतु डिजिटल हितकारी डाटाबेस, बैंक खाता व्यौरा, आधार संख्या तथा आधार सीडिंग की कार्रवाई की जानी है तथा PFMS के पोर्टल पर इसे साझा किया जाना है तथा इसकी समीक्षा, सत्यापन और विधिमान्यकरण (Validation) किया जाना है । PFMS द्वारा की गई समीक्षा के निष्कर्ष को राज्य सरकार के साथ साझा किया जाएगा । राज्य सरकार PFMS के निष्कर्षों में उठाये गये issues को सुलझायेगी तथा अंतिम डिजिटल हिताधिकारी डाटा बेस को आधार संख्या, बैंक एकाउंट नं0 तथा आधार सीडिंग के साथ PFMS पोर्टल पर उपलब्ध करायेगी । केन्द्र सरकार अंतिम हिताधिकारी डाटाबेस के आधार पर नियम 5 के उपबंधों के अनुसार मासिक आधार पर संगणित कुल नकद सहायिकी राज्य अभिकरण के बैंक खाते में अंतरित करेगी । राज्य अभिकरण अधिकृत नकद सहायिकी की समेकित राशि PFMS के माध्यम से महालेखा – नियंत्रक भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मासिक आधार पर हिताधिकारी डाटाबेस में हकदार गृहस्थियों के वैयक्तिक बैंक खातों में जमा करेगा ।

केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के अभिकरण के बैंक खाते में मासिक आधार पर कुल देय नकद सहायिकी पूर्ववर्ती मास की 15 तारीख तक जमा करेगी तथा राज्य अभिकरण हकदार गृहस्थियों के बैंक खाते में मासिक आधार पर नकद सहायिकी पूर्ववर्ती मास के अंतिम सप्ताह तक अंतरित करेगा ।

8. खाद्य सहायिकी के नकद अंतरण हेतु PFMS पोर्टल पर साझा किये गये डाटा बेस की समीक्षा, सत्यापन तथा विधिमान्यकरण (Validation) राज्य अभिकरण (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम) द्वारा किया जाएगा। संबंधित जिलों के डाटा बेस की समीक्षा, सत्यापन तथा विधिमान्यकरण (Validation) करना जिला पदाधिकारियों की जबाबदेही होगी।

9. Direct Benifit Transfer योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत् होंगे :–

<u>राज्य उच्च स्तरीय समिति</u>

(क) विकास आयुक्त, बिहार	अध्यक्ष
(ख) प्रधान सचिव / सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार	सदस्य – सचिव
(ग) प्रधान सचिव / सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार	सदस्य
(घ) प्रधान सचिव / सचिव सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार	सदस्य

Am 1/3/2016

–

(ड़) प्रधान सचिव / सचिव ग्रमीण विकास विभाग, बिहार	सदस्य
(च) प्रधान सचिव / सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार	सदस्य
(छ) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना ।	सदस्य
(ज) राज्य सूचना पदाधिकारी , एन0आई0सी0, पटना	सदस्य
(झ) वित्त विभाग, बिहार के प्रतिनिधि	सदस्य

10. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण तथा आधार संख्या, बैंक खाता व्यौरे एवं आधार सीडिंग की कार्रवाई हेतु लगभग 20 लाख रूपये व्यय की संभावना है, जिसका वहन राज्य योजना की राशि से की जाएगी एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सामंजन की जाएगी ।

11. राज्य में वर्त्तमान में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को खाद्य सहायिकी का नकद अंतरण (Direct Benefit Transfer) का पायलट बेसिस पर पूर्णियाँ जिले के कस्बा प्रखंड में कार्यान्वयन का प्रस्ताव है ।

12. Direct Benefit Transfer योजना के आधारभूत संरचना के विकास हेतु होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102– सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0105–लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0–P 3456001020105 मांग संख्या–18 विषय शीर्ष 21–01 सामग्री एवं पूर्तियां के अन्तर्गत किया जाएगा ।

13. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 21.03.2016 को मद संख्या – 10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । संचिका संख्या–प्र06– विविध–12 / 2015–35 / टि0 ।

14. संकल्प पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

13/3/16
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

13/3/16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06 विविध–12 / 2015 खाद्य–पटना / दिनांक–

प्रतिलिपि – ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

13/3/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–12/2015 2148 खाद्य–पटना/दिनांक– 31.03.16

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–12/2015 खाद्य–पटना/दिनांक– 31.03.16

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय /स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

31/3/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–12/2015 2148 खाद्य–पटना/दिनांक– 31.03.16

प्रतिलिपि – बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/अपर सचिव–सह–सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–12/2015 2148 खाद्य–पटना/दिनांक– 31.03.16

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–12/2015 2148 खाद्य–पटना/दिनांक– 31.03.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–12/2015 2148 खाद्य–पटना/दिनांक– 31.03.16

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

31/3/2016
सरकार के सचिव।